

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन-12/2011/डी-568

दिनांक: 21-1-11

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 159वीं बैठक दिनांक 13.01.2011 में लिये गये निर्णय का विवरण

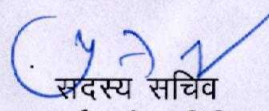
ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1 159.1	कार्यकारी समिति की 158वीं बैठक दिनांक 20.12.10 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से 158वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि किये जाने का निर्णय लिया गया।		
2 159.2	भूखण्ड सं. ए-223, सालिगरामपुरा के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड सं. ए-223, सालिगरामपुरा के नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार को भिजवाये गये प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	उपायुक्त जोन-14	
3 159.3	भूखण्ड सं. बी-299, सालिगरामपुरा के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड सं. बी-299, सालिगरामपुरा के नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार को भिजवाये गये प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	उपायुक्त जोन-14	
4 159.4	ट्रांसपोर्ट नगर सीकर रोड योजना में भूखण्ड सं. बी-2/11 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड सं. बी-2/11, ट्रांसपोर्ट नगर सीकर रोड का नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13	
5 159.5	(I) दी शिवा गृह निर्माण सहकारी समिति की गैर अनुमोदित योजना आर्यवीर नगर व दी दयाल भवन गृ.नि.स.स. की गैर अनुमोदित योजना व्यास कालोनी में से होकर गुजर रही मास्टर प्लान 2011 में प्रस्तावित 200 फीट सड़क को 160 फीट किये जाने बाबत। (II) ग्राम चकधुला तहसील सांगानेर में अवस्थित दी शिवा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना आर्यवीर नगर एवं ग्राम बिन्दायका तह. सांगानेर में अवस्थित दी दयाल भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना व्यास कालोनी के अवैध कब्जेधारियों को पुर्नवासित करने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तुत एजेण्डा नोट व समिति के भूखण्डधारियों की उपस्थिति में निर्णय लिया गया कि :- 1. दी शिवा गृ.नि.स.समिति की गैर अनुमोदित योजना आर्यवीर नगर व दी दयाल भवन गृ.नि.स.समिति की गैर अनुमोदित योजना व्यास कॉलोनी में से होकर गुजर रही मास्टर प्लान 2011 में प्रस्तावित 200 फिट सड़क को 160 फिट किये जाने हेतु जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 02.07.08 में तथा बीपीसी (एलपी) की बैठक सं. 118 दिनांक 23/24.07.08 में निर्णय लिया जा चुका है। विचार विमर्श पश्चात् उक्त निर्णय का अनुमोदन किया गया। 2. ग्राम चकधुला तहसील सांगानेर में अवस्थित दी शिवा गृ. नि.स.समिति की योजना आर्यवीर नगर एवं ग्राम बिन्दायका	उपायुक्त जोन-10	

५३

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट	
		तहसील सांगानेर में अवस्थित दी दयाल भवन गृ.स.समिति की योजना व्यास कॉलोनी के अवैध कब्जेधारियों द्वारा प्रस्तावित 200 फिट सडक को 160 फिट किये जाने के समय समिति के सदस्यों द्वारा अपने भूखण्डों में से सडक सीमा में आ रही भूमि को निःशुल्क समर्पण करने के उपरान्त शेष रही भूमि के अधिकांश भूखण्डधारियों को बिल्टअप ऐरिया प्राप्त नहीं होता है। अतः नियमन के सम्बन्ध में राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने वाले पत्र में प्रत्येक भूखण्ड स्थिति स्पष्ट करते हुये निम्न बिन्दुओं बाबत राज्य सरकार से स्वीकृति लिये जाने का निर्णय लिया गया:- (अ) 160 फिट रोड सीमा में शेष रही भूमि में अवस्थित भूखण्डधारियों के भूखण्डों का शून्य सेटबैक पर उसी स्थान पर वाणिज्यिक नियमन बाबत । (ब) भूखण्डधारियों के भूखण्डों का नियमन हेतु वर्तमान वाणिज्यिक आरक्षितदर से नियमन राशि वसूलने बाबत ।			
6	159.6	जयपुर विकास प्राधिकरण में पुर्नवास प्रकोष्ठ का गठन एवं उसकी स्ट्रेन्थ का निर्धारण बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जयपुर विकास प्राधिकरण में पुर्नवास प्रकोष्ठ का गठन एवं उसकी स्ट्रेन्थ के निर्धारण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही पुर्नवास के सभी पदों को स्वीकृत करते हुये पद सृजन के प्रस्ताव आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया गया ।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
7	159.7	पुर्नवास अधिकारी का पद सृजित करने एवं प्राधिकरण सेवा विनियमों में पुर्नवास अधिकारी के प्रावधान प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से पुर्नवास अधिकारी का पद सृजित करने एवं प्राधिकरण सेवा विनियमों में पुर्नवास अधिकारी के पद का प्रावधान प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा इस पद हेतु तहसीलदार का पद समाप्त नहीं किये जाने बल्कि इसे पूर्णतया नवीन पद के रूप में रखे जाने का निर्णय लिया गया ।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
8	159.8	कार्यकारी समिति की 157वीं बैठक के निर्णय में संशोधन के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से अधिशाषी अभियन्ता (प्रो.-5 एवं टी.ए.) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया।	अधिशाषी अभियन्ता (प्रो.-5 एवं टी.ए.)	

10/11/22

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)					
9	159.9	Agenda Regarding approval of tender for the work "Package-1A, Relocation of 17 slums under JDA jurisdiction"- on three relocation sites at Sikar Road Anand Lok-I:636 Dus, Anand Lok-II 384 DUs, Swapan Lok: Dus Total:1602 DUs."	The agenda was placed before the committee and discussed in detail. After detail discussion E.C. found the rates are competitive, reasonable and lower side and decided to approve the tender in the favor of lowest renderer M/S Jain Infra Project Ltd. with BOQ (BSR-2009 (Roads, Building), JDA BSR item) part including @ 12.60% below for amounting Rs. 41,22,06,393.35 without any conditions.	Exe. Eng. (PDC-3)	
10	159.10	Agenda Regarding approval of tender for the work "Package-1B, Relocation of 17 slums under JDA jurisdiction"- on relocation sites at Jaisinghpuravas, Ajmerr Road with total DUs as 1320 units."	The agenda was placed before the committee and discussed in detail. After detail discussion E.C. found the rates are competitive, reasonable and lower side and decided to approve the tender in the favor of lowest renderer M/S Jain Infra Project Ltd. with BOQ (BSR-2009 (Roads, Building), JDA BSR item) part including @ 12.60% below for amounting Rs. 37,79,76,601.00 without any conditions.	Exe. Eng. (PDC-3)	
11	159.11	भूखण्ड सं. सी-94, गिरधारीपुरा की नजराना राशि विलम्ब से जमा होने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड सं. सी-94 गिरधारीपुरा की नजराना राशि विलम्ब से जमा होने से नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-7	


 सदस्य सचिव
 कार्यकारी समिति
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

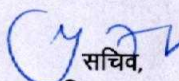
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन-12/2011/डी-569
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

दिनांक: 21-1-11

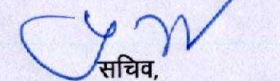
क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3	जिला प्रमुख	ज़िला परिषद, जयपुर।
4	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5	प्रमुख शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलक्टर	जिला कलैक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी/प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व/पश्चिम/प्रशासन/एल.पी.सी./भूमि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट/बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	विशेषाधिकारी (आर.एण्ड.एम)/अति.निदे. (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26	उपायुक्त (समन्वय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
27	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
28	विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सम्बन्धित अधिकारी आगामी बैठक से पूर्व पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें।


सचिव,
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 159वीं बैठक दिनांक 13.01.11 को प्रातः 10.30 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री सुधांशु पंत, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य / अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1	श्री सुधांशु पंत	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2	श्रीमती शुचि शर्मा	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य सचिव
3	श्री एच.एस. संचेती	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4	श्री डी.सी. जवंडा	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्री एन.सी. माथुर	निदेशक (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री एम.पी. स्वामी	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7	श्री रामावतार मीना	अति. जिला मजिस्ट्रेट (पूर्व)	कलेक्ट्रेट	सदस्य के प्रतिनिधि
8	श्री दिनेश चन्द	XEN	PWD	सदस्य के प्रतिनिधि
9	श्री विनय सक्सेना	XE	JVVNL	सदस्य के प्रतिनिधि
10	श्री के.जी. गोयल	M.C.	J.N.N.	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
11	श्री शफी मोहम्मद कुरेशी	अति. आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12	श्रीमती दुर्गा जोशी	अति. आयुक्त (भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13	श्री जाकिर हुसैन	अति. निदेशक (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14	श्री आर.के. शर्मा	S.E. (Pro.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15	श्री जी.एम. गुप्ता	E.E. (P)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्री अनिल कुमार अग्रवाल	उपायुक्त जोन-9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	श्री औंकार मल सैनी	उपायुक्त जोन-10	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18	श्री पुरुषोत्तम शर्मा	उपायुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19	श्री नरेन्द्र सिंह	उपायुक्त जोन-13	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20	श्री संजय जैन	उपायुक्त जोन-14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21	श्री पी. अरविन्द	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22	श्रीमती नर्मदा इन्दोरिया	ओएसडी (पीआर)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	


सचिव,
जयपुरा, जयपुर